न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 408/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
नूर खां पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ सफी खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम मोतीसर देडा, तहसील बालेसर हाल निवासी ग्राम मेहर कॉलोनी, चौपासनी स्कूल के पास, जोधपुर		1–फकीरखां पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ सफीखां 2–बाबूखां पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ सफीखां 3–फिरोजखां पुत्र सफी मोहम्मद उर्फसफीखां 4–सदीक पुत्र हनीफ खां 5–निजाम खां पुत्र हनीफ खां 6–मोईदीन पुत्र हनीफ खां 7–इनायी बानो पुत्री हनीफखां निवासी ग ण चौपासनी, तहसील व जिला जोधपुर 8–श्रीमती मुरबत पत्नी हनीफखां जाति मुसलमान निवासी चौपासनी तहसील व जिला जोधपुर 9–श्रीमती हुरमत पुत्री सफी ोहम्मद उर्फ सफी खां पत्नी अहमदखां निवासी ग्राम झलरिया तहसील व जिला जैसलमेर 10–श्रीमती जुमी पुत्री सफी मोहम्मद उर्फ सफीखां पत्नी इलमदीन खां निवासी चौपासनी जोधपुर 11–श्रीमती सुगी पुत्री स फी मोहम्मद उर्फ सफी खां पत्नी विरा ज खां निवासी ग्राम चोपासनी जोधपुर ह.ल निवासी झलारिया तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर 12–श्रीमती मुगरी पुत्री सफी मोहम्मद उर्फ सफी खां पत्नी छोटू खां निवासी ग्राम जालपूरी लालपुरा चांदसभा, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 13–ग्राम पंचायत देडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देडा पंचायत समिति, सेखाला जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध विवादित नामांतरकरण संख्या 31 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत देडा द्वारा दिनांक 20–6–2018 को स्वीकृत किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 12 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16–9–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोतीसर पटवारी हल्का के खसरा नंबर 5 रकबा 9.18 बीघा, खसरा नंबर 7 रकबा 13.13 बीघा कुल 2 खसरान की 23.11 बीघा भूमि बिस्मल्ला पत्नी सफी मोहम्मद जाति मुसलमान सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदारी भूमि के संबंध मे विरासत एवं हकतर्कनामा का म्युटेशन संख्या 31 मृतका खातेदार बिस्मिल्ला के पुत्रान फकीरखा, बाबुखां, फिरोजखां पि0 सफी मोहम्मद एवं हनीफखां के पुत्रान सदीक, निजाम एवं मोईदीन एवं मुखति पत्नी स्व0 हनीफखां जाति मुसलमान के नाम सरपंच ग्राम पंचायत देडा द्वारा दिनांक

20–6–2018 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट नूरखां जो कि मृतका खातेदार बिस्मिल्ला का जायंदा पुत्र है ने उक्त म्युटेशन को विवादित होना मानते हुए अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । उक्त अपील इस न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अपीलाधीन मूल म्युटेशन संख्या 31 तलब किया गया । रेस्पो0गण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने वकालातनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली है ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित । पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित कथनो को बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया तथा कथन किया कि अपीलांट की माता बिस्मिल्ला अपीलांट ने अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 11–5–2009 को उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध मे कार्यवाही करने हेतु अपना पुत्र मानते हुए लिखकर दिया था तथा खातेदार बिस्मिल्ला का देहांत दिनांक 15–5–2011 को वाहन दुर्घटना मे हो गया था जिसके संबंध मे मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण प्रथम जोधपुर के न्यायालय मे मुआवजा की राशि प्राप्त करने हेतु प्रकरण संख्या 94/2012 (625/2014) प्रस्तुत हुआ जिसमे अपीलांट को मृतका के वारिसान पुत्र के रूप मे शामिल किया गया था तथा अपीलांट नूर खां को उक्त प्रकरण मे पुत्र होना स्वीकार किया था परंतु रेस्पो0गण ने राजस्व कर्मचारियो से सांठ गांठ कर मृतक के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच करवाये बिना अपने पक्ष मे म्युटेशन संख्या 31 दिनांक 20–6–2018 को स्वीकार करवा लिया, जबकि अपीलांट प्रथम श्रेणी का वारिस है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जब मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रथम जोधपुर ने मृतका बिस्मिल्ला के क्लेम मे अपीलांट को मृतक बिस्मिल्ला का उतराधिकारी माना था तो ग्राम पंचायत को यह कोई विधिक अधिकार नही है कि प्रथम श्रेणी के वारिसान को सम्पति से वंचित रख दिया जाये इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन मे ग्राम पंचायत ने केवल मात्र अपीलांट को गोद चले जाने के कारण बिस्मिल्ला की सम्पति मे अपीलांट का हित नही मानना विधिसम्मत नही होने से अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20–7–18 को पटवारी हल्का देडा से होने पर अपीलाधीन म्युटेशन की नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है इसलिए जानकारी की दिनांक सें अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलाधीन म्युटेशन पर ग्राम पंचायत देडा द्वारा बाद विस्तृत जांच सर्वसम्मति से दिनांक 20–6–2018 को स्वीकृत किया था

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रांरभ से ही थी इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट नूरखां ने अपीलाधीन भूमि मे अपने हक अधिकारो की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 का उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष अनवान नूरखां बनाम फकीरखां वगैरा प्रकरण संख्या 34/2018 प्रस्तुत कर रखा है, जिसमे पारित निर्णय से ही अपीलांट के हक अधिकारो की घोषणा संभव है । म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है । वकील रेस्पो0 ने अवगत कराया कि अपीलांट ने अधिकारो की घोषणा का दावा 16–7–18 को पेश कर दिया था उसके पश्चात यह म्युटेशन अपील पेश की है, जिसे खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी इस बहस के समर्थन मे आर.आर.टी.2003 (2) पेज 1176 की निर्णय नजीर पेश की ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट नूरखां जो कि धोकलखां के खोले जा चुका था तथा धोकलखां के खातेदारी की भूमि ग्राम गुमान सिह नगर पटवार मण्डल देडा की खातेदारी अपीलांट नूरखां खोले धोकलखां जाति मुसलमान के नाम दर्ज है जिसकी पुष्टि हेतु म्युटेशन संख्या 58 दिनांक 5–4–2017 की प्रति वकील रेस्पो0 ने फार्म नंबर 3 के साथ प्रस्तुत करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया, उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 का गहनता से अध्ययन किया तथा इस अपील मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 जो कि मृतका बिस्मिल्ला के फोत होने पर उसके खातेदारी भूमि के संबंध मे फोतेदगी एवं हकतर्कनामे का स्वीकृत किया गया है जिसमे मृतका बिस्मिल्ला की पुत्रियों द्वारा अपने भाई के पक्ष मे हक तर्क कर देने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तथा उक्त म्युटेशन मे वर्तमान अपीलांट नूरखां जो रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज दिनांक 8–12–73 अनुसार अपने बडे पिता धोकलखां के खोले गये हुए होने से नूरखां का नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज नही करते हुए स्वीकृत किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह भी उल्लेखनीय है कि जब अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि मे अपने खातेदारो अधिकारो की घोषणा के संबंध मे एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 का उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष अनवान नूरखां बनाम फकीरखां वगैरा प्रकरण संख्या 34/2018 प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है ऐसे मे उक्त नियमित वाद मे पारित निर्णय से ही अपीलांट के हक अधिकारो की घोषणा संभव है तो म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है। यही अभिमत रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर आर.आर.टी.2003 (2) पेज 1176 मे दिया गया है ।

इसके अलावा रेस्पो0 अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न जो ग्राम गुमानसिह

नगर पटवार मण्डल देडा के म्युटेशन संख्या 58 दिनांक 5–4–2017 की प्रति प्रस्तुत की है, के अवलोकन से यह प्रकट है कि खातेदार धोकलखां के खातेदारी की भूमि का म्युटेशन अपीलांट नूरखां खोले धोकल खां जाति मुसलमान के नाम दर्ज है । ऐसे मे जब अपीलांट अपने बडे पिता धोकलखां के गोद चला गया तथा उसके खातेदारी की भूमि मे हिस्सा प्राप्त कर चुका है तो अपने कुदरती पिता के खातेदारी से हक पाने का अधिकारी नही होने से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 ग्राम मोतीसर मे उसका नाम दर्ज नही करते हुए शेष वारिसान के नाम दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत देडा द्वारा स्वीकृति किया है, जो विधिसंम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 16–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर